संख्या-38/2023/381/सैंतीस-2-2023/003-5(2)/2018

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-21 मार्च, 2023

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-273/सा0-2/बारह-619/2021-22, दिनांक-13.02.2023 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-32/2023/593/सैंतीस-2-2023/002-5(2)/2018टीसी, दिनाँक-09.03.2023 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-04-गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न विवरणानुसार 56 नवीन गो-संरक्षण केन्द्रों का निर्माण उनके सम्मुख अंकित कार्यदायी संस्था से कराये जाने हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0-60.00 लाख की दर से कुल रू0-3360.00 लाख (रूपये तैंतीस करोड़ साठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत गो-संरक्षण केन्द्रों हेतु निर्गत की गयी धनराशियों के नियम संगत व्यय, व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा भौतिक प्रगति तथा गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

(2) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020, दिनांक-20 जनवरी, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा आहरित कर तत्काल सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी और उपलब्ध धनराशि से वृहद् गो-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराने एवं केन्द्र के अग्रेतर संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिलाधिकारी की होगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग स्वीकृति धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है अर्थात् प्रस्तावित कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व प्रश्नगत निर्माण हेतु भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी।

(7) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में क्रय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(8) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(14) नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज दिये जाने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

(15) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/यथावश्यकता जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 33,60,00,000 (रुपये तैंतीस करोड़ साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 4403008000400 गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-38/2023/381(1)/सैंतीस-2-2023/003-5(2)/2018, तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. सचिव, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, लखनऊ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-38/2023/381/सैंतीस-2-2023/003-5(2)/2018, दिनांक-21 मार्च, 2023 का संलग्नक:-

गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना (रा.यो.) (वित्तीय वर्ष 2022-23)

क्र0	जनपद	केन्द्र का विवरण	धनराशि (लाख में)	कार्यदायी संस्था
1	हाथरस	ग्रा. मिढावली, तह. सादाबाद	60.00	उ.प्र.राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड)
2	रायबरेली	ग्रा. बन्नांवा, तह. बछरांवा	60.00	-तदैव-
3	फर्रूखाबाद	ग्रा. पहाड़पुर, तह. कायमगंज	60.00	-तदैव-
4	अमेठी	ग्रा. दक्खिनगवां	60.00	-तदैव-
5		ग्रा. खारा, तह. तिलोई	60.00	-तदैव-
6		ग्रा. कोरारी लच्छनशाह, तह. अमेठी	60.00	-तदैव-
7	आजमगढ़	ग्रा. बसही अशरफपुर, तह. फूलपुर	60.00	-तदैव-
8		ग्रा. चरहा, तह. निजामाबाद	60.00	-तदैव-
9		ग्रा. रामपुर	60.00	-तदैव-
10	सहारनपुर	ग्रा. ननौता बैरून हद्दू तह. रामपुर मनिहारन	60.00	-तदैव-
11		ग्रा. मानपुर अहतमाल जदीद, तह. नकुड़	60.00	-तदैव-
12	जौनपुर	ग्रा. गुलालपुर, तह. शाहगंज	60.00	-तदैव-
13		ग्रा. सोनिकपुर, तह. शाहगंज	60.00	-तदैव-
14	श्रावस्ती	ग्रा. सेमगढ़ा, तह. इकौना	60.00	-तदैव-
15		ग्रा. मोतीपुर कला, तह. भिनगा	60.00	-तदैव-
16	ललितपुर	ग्रा. कुचदों, ग्रा.सभा देवगढ़ (कुचदों)	60.00	-तदैव-
17		ग्रा. खिरिया मिश्र, तह. महरौनी	60.00	-तदैव-
18		ग्रा. टोरिया, तह. ललितपुर	60.00	-तदैव-
19		ग्रा. बिजरौठा, तह. ताल बेहट	60.00	-तदैव-
20	महोबा	ग्रा. बछेहरखुर्द, तह. कुलपहाड़	60.00	-तदैव-
21		ग्रा. टीकामऊ, तह. महोबा	60.00	-तदैव-
22		ग्रा. खरेला देहात, तह. चरखारी	60.00	-तदैव-
23		ग्रा. सौरा, तह. कुलपहाड़	60.00	-तदैव-
24	जालौन	ग्रा. नुनबई, तह. उरई	60.00	-तदैव-
25		ग्रा. जुगराजपुर	60.00	-तदैव-
26	प्रतापगढ़	ग्रा. पहाड़पुर, तह. लालगंज	60.00	-तदैव-
27		ग्रा. विलियमगढ़, तह. लालगंज	60.00	-तदैव-
28		ग्रा. शकूहाबाद, तह. लालगंज	60.00	-तदैव-
29	सीतापुर	ग्रा. कोडवा धमधमपुर, तह. बिसवां	60.00	उ.प्र.राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0
30	फिरोजाबाद	ग्रा. साथी, तह. शिकोहाबाद	60.00	-तदैव-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

31	शाहजहांपुर	ग्रा. धुसगवां, तह. सदर	60.00	-तदैव-
32		ग्रा. सहबाजनगर, तह. सदर	60.00	-तदैव-
33	बागपत	ग्रा. बिजवाड़ा, तह. बड़ौत, वि.ख. बिनौली	60.00	-तदैव-
34		ग्रा. काकोर, तह. बड़ौत	60.00	-तदैव-
35		ग्रा. नगलाअगरी, वि.ख. खेकड़ा	60.00	-तदैव-
36	झांसी	ग्रा. गौती, वि.ख. बामोर	60.00	-तदैव-
37		ग्रा. रमौरा, वि.ख. गुरसराय	60.00	-तदैव-
38		ग्रा. धवारी, वि.ख. गुरसराय	60.00	-तदैव-
39		ग्रा. पठगुवां, वि.ख. बंगरा	60.00	-तदैव-
40	हरदोई	ग्रा. तन्डर, तह. शाहाबाद	60.00	-तदैव-
41		ग्रा. बर्रा, तह. सवायजपुर	60.00	-तदैव-
42		ग्रा. बरगांवा, वि.ख. ठडियांवा, तह. सदर	60.00	-तदैव-
43		ग्रा. काशीपुर, तह. सदर	60.00	-तदैव-
44	कानपुर देहात	ग्रा. अन्ने	60.00	-तदैव-
45	अमरोहा	ग्रा. रहमापुर माफी, तह. धनौरा	60.00	-तदैव-
46	आगरा	ग्रा. खेड़ी अन्हू, तह. एत्मादपुर	60.00	-तदैव-
47		ग्रा. खेड़ा राठौर, तह. वाह	60.00	-तदैव-
48		ग्रा. अछनेरा देहात, तह. किरावली	60.00	-तदैव-
49		ग्रा. धनौला कला, तह. फतेहाबाद	60.00	-तदैव-
50	सुल्तानपुर	ग्रा. अल्हादपुर, तह. सदर	60.00	-तदैव-
51		ग्रा. सिरवारा द्वितीय, तह. जयसिंहपुर	60.00	-तदैव-
52	उन्नाव	ग्रा. तौरा, तह. सदर	60.00	-तदैव-
53		ग्रा. टिकरा शामद, तह. हसनगंज	60.00	-तदैव-
54		ग्रा. एरा मदियार, तह. सदर	60.00	-तदैव-
55		ग्रा. जमीरपुर	60.00	-तदैव-
56	फतेहपुर	ग्रा. रायपुर भसरौल, तह. खागा	60.00	-तदैव-
योग-			**3360.00**	

(रूपये तैंतीस करोड़ साठ लाख मात्र)

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।